शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) द्वारका चरण--I में भूमि आवंटित करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 21-1-91 को निकाली गई लाटरी के अनुसार संसद सदस्यों की 1 समिति सहित 1983-84 में पंजीकृत 216 सहकारी सामूहिक आवास समितियों को आवंटन एवं मांग-पत्र जारी किए थे । 10-5-91 को उच्च न्यायालय द्वारा समितियों के लिए भूमि का आवंटन रद्द कर दिया था । उच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है ।

रिहन्द, हीराकुण्ड इत्यादि बांधों में गाद भरना

838. **श्री अजीत जोगी :**
श्री राधा किशन मालवीय :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रिहन्द, हीराकुण्ड इत्यादि जैसे अपेक्षाकृत पुराने बांधों में इतनी अधिक गाद भर गई है कि उनकी क्षमता में अप्रत्याशित रूप से कमी आई है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) इस दिशा में कौन से कदम उठाए जाने का विचार है ताकि गाद हट जाए और इन बांधों की पूर्व क्षमता दोबारा स्थापित हो जाए ; और

(ग) इस दिशा में अब तक क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जलाशयों को गाद भरना एक प्राकृतिक तथ्य है तथा गाद समायोजित करने के लिए जलाशयों की क्षमता में प्रावधान किए जाते हैं । उड़ीसा सरकार द्वारा दी गयी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1985-86 तक 30 वर्षों की अवधि में हीराकुण्ड जलाशय में गाद सकल भंडारण का 18.3 प्रतिशत है । यह हानि न तो अप्रत्याशित है ना ही असामान्य तौर पर अधिक है । रिहन्द बांध पर भी गाद भरने के कारण अप्रत्याशित रूप से अधिक हानि की सूचना प्राप्त नहीं हुई है । दूसरे बांधों में भी, जहां गाद भरने की सूचना मिली है, गाद भरने के कारण भंडारण में हानि सामान्यतया बहुत अधिक नहीं है ।

(ख) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, इस स्तर पर जलाशयों की गाद निकालने हेतु विचार नहीं किया गया है ।

(ग) नदी घाटी परियोजनाओं के जल ग्रहण क्षेत्र में मृदा संरक्षण उपायों, वन रोपण तथा जल प्रबन्ध पद्धतियों से किसी सीमा तक गाद भरने की दर को कम किए जाने की प्रत्याशा है ।

Expenditure on Development of fishing industry

839. SHRI PRAGADA KOTAIAH: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the amount spent for development of the fishing industry in the country during the last three years and the portion thereof actually spent for direct benefit of fishermen both inland and coastal belt and in what manner, year-wise; and

(b) what steps have been taken to protect the fishermen in the coastal belt from the exploitation by the mechanised fishing vessels?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN): (a) A statement is enclosed.

(b) As per a model bill circulated by the Central Government in 1979, the maritime States of Maharashtra, Goa, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu and Orissa have enacted Maring Fishing Regulation Acts which enables them to regulate fishing within the territorial waters. The remaining States and UTs are taking steps to enact the Act. The States which have enacted MFRA have exclusively reserved sea areas of 5 to. 10 kms. from the coast line for traditional fishermen where mechanised fishing is banned. The Government are also taking steps to strengthen the State machinery for implementation of the Act.